

ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का
अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन
कर व उन्हें भली-भांति समझने
के पश्चात आयोग की वेबसाइट
पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का
प्रिंट निकालकर आवश्यक
जानकारियों की प्रविष्टि कर
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।



प्रावधिक-पत्र
विज्ञापन की शर्तों के
अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 359 /15/चयन/2021

दिनांक 14/08/2021

साक्षात्कार-पत्र

राज्य सेवा परीक्षा- 2019

महोदय/महोदया,

राज्य सेवा परीक्षा- 2019 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली-पूर्वाह्न 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली-अपराह्न 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।
- 2.1 राज्य सेवा परीक्षा- 2019 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित उक्त अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की ऑनलाईन अग्रमान्यता अंकित करनी होगी। ऑनलाईन अग्रमान्यता अभ्यर्थी दिनांक 18.08.2021 से 24.08.2021 तक प्रविष्टि कर अवश्य डाऊनलोड कर लें। अभ्यर्थी अच्छी गुणवत्ता के ए 4 साईज पेपर पर अग्रमान्यता पत्रक का प्रिंट प्राप्त करेंगे। साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज वेबसाइट से डाऊन लोड करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय जांचकर्ता के समक्ष अपने साथ लाए गए उक्त प्रिंट आउट तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाईन अग्रमान्यता का अंकन अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा। अंकित की गई अग्रमान्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त हेतु वे अन्य को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे। ऑनलाईन अग्रमान्यता का अंकन अभ्यर्थी को स्वयं ही करना होगा। अंकित की गई अग्रमान्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त हेतु वे अन्य को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे। ऑनलाईन अग्रमान्यता भरने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और न ही सुधार/परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। (अतः अभ्यर्थी अग्रमान्यता पत्रक को पूर्ण सावधानी के साथ भरें।) निर्धारित अवधि में ऑनलाईन अग्रमान्यता दर्ज नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अग्रमान्यता, संबंधित विज्ञापन में विज्ञापित पदों के क्रम में ले ली जाएगी तथा इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
- 2.2 सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
- 2.3 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

25

- 2.4 राज्य सेवा परीक्षा- 2019 के पदों के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 07/2019/परीक्षा/दिनांक 23/11/2019, रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता- विज्ञापन की कंडिका (7), (i),(ii), अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्विधित प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.7 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.8 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.9 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.10 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.11 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
- 2.12 विज्ञापन की कंडिका 15(iii) के अनुसार- छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे।) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अतः संबंधित प्रमाण पत्र दो-दो प्रतियों में सत्यापित अथवा स्व प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।
- 2.13 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आय सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- 2.14 आपके द्वारा राज्य सेवा परीक्षा- 2019 के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 8 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2019 के लिए किये गये ऑनलाईन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.7 नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Zul 14.8.2021
परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग

Pakash रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
01-09-2021	02-09-2021	1907100173	1907108966
		1907100353	1907109043
		1907100708	1907109113
		1907100786	1907109144
		1907101392	1907109161
		1907101512	1907109184
		1907101632	1907109307
		1907101657	1907109379
		1907102065	1907109483
		1907102247	1907109484
		1907102296	1907109702
		1907102459	1907110082
		1907103112	1907110101
		1907103312	1907110119
		1907103374	1907110181
		1907103411	1907110315
		1907103613	1907110358
		1907103615	1907110379
		1907103773	1907110513
		1907103865	1907110552
		1907104090	1907110631
		1907104373	1907110661
		1907104639	1907110722
		1907104710	1907110736
		1907104970	1907110754
		1907105216	1907110818
		1907105243	1907110917
		1907105681	1907110981
		1907105892	1907111000
		1907106067	1907111181
		1907106220	1907111255
		1907106434	1907111335
1907107687	1907111396		
1907107696	1907111454		
1907107735	1907111485		
1907107901	1907111495		
1907107963	1907111554		
1907108469	1907111586		
1907108601	1907111623		
1907108790	1907111646		

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
02-09-2021	03-09-2021	1907111754	1907115324
		1907111762	1907115371
		1907111928	1907115398
		1907111991	1907115410
		1907112007	1907115458
		1907112127	1907115514
		1907112235	1907115557
		1907112270	1907115630
		1907112346	1907115708
		1907112454	1907115815
		1907112472	1907115835
		1907112475	1907115876
		1907112503	1907116190
		1907112604	1907116215
		1907112669	1907116310
		1907112775	1907116318
		1907112793	1907116668
		1907112813	1907116693
		1907112833	1907116702
		1907112842	1907116750
		1907112927	1907116787
		1907113179	1907116807
		1907113487	1907116840
		1907113549	1907116907
		1907113681	1907116935
		1907114137	1907116997
		1907114184	1907117010
		1907114274	1907117137
		1907114329	1907117213
		1907114385	1907117234
		1907114414	1907117244
		1907114478	1907117298
1907114651	1907117319		
1907114684	1907117400		
1907114816	1907117511		
1907115065	1907117621		
1907115180	1907117673		
1907115241	1907117893		
1907115263	1907117905		
1907115275	1907117994		

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
03-09-2021	04-09-2021	1907118139	1907122110
		1907118303	1907122288
		1907118330	1907122452
		1907118333	1907122457
		1907118364	1907122469
		1907118609	1907122500
		1907118690	1907122508
		1907118809	1907122591
		1907118927	1907122746
		1907118930	1907122900
		1907119011	1907122931
		1907119276	1907122932
		1907119425	1907123029
		1907119551	1907123121
		1907119594	1907123211
		1907119794	1907123230
		1907119917	1907123305
		1907119967	1907123374
		1907120035	1907123508
		1907120274	1907123529
		1907120391	1907123647
		1907120410	1907123652
		1907120421	1907123691
		1907120574	1907124146
		1907120776	1907124191
		1907120791	1907124207
		1907120813	1907124496
		1907120879	1907124553
		1907120914	1907124578
		1907121156	1907124610
		1907121265	1907124715
		1907121358	1907124874
1907121448	1907124949		
1907121453	1907124988		
1907121485	1907125027		
1907121530	1907125031		
1907121593	1907125063		
1907121797	1907125145		
1907121844	1907125165		
1907121993	1907125195		

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
04-09-2021	06-09-2021	1907125245	1907128163
		1907125285	1907128198
		1907125290	1907128214
		1907125315	1907128235
		1907125497	1907128278
		1907125576	1907128659
		1907125644	1907128833
		1907125664	1907128887
		1907125709	1907128935
		1907125748	1907128958
		1907125753	1907129136
		1907125757	1907129280
		1907125770	1907129311
		1907126055	1907129424
		1907126207	1907129455
		1907126269	1907129458
		1907126331	1907129474
		1907126333	1907129542
		1907126394	1907129622
		1907126609	1907129651
		1907126661	1907129661
		1907126663	1907129683
		1907126747	1907129857
		1907126785	1907129861
		1907127012	1907129935
		1907127129	1907130135
		1907127206	1907130364
		1907127264	1907130429
		1907127272	1907130525
		1907127422	1907130571
		1907127474	1907130610
		1907127495	1907130649
1907127798	1907130687		
1907127840	1907130748		
1907127892	1907131011		
1907127894			
1907127942			
1907128064			
1907128090			
1907128101			

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
06-09-2021	07-09-2021	1907131088	1907134835
		1907131185	1907134947
		1907131228	1907135173
		1907131244	1907135272
		1907131281	1907135708
		1907131355	1907136108
		1907131378	1907136190
		1907131469	1907136225
		1907131616	1907136278
		1907131885	1907136373
		1907132174	1907136417
		1907132207	1907136969
		1907132312	1907137095
		1907132434	1907137374
		1907132587	1907137676
		1907132902	1907137904
		1907132918	1907137975
		1907132939	1907138571
		1907133054	1907138606
		1907133104	1907139033
		1907133228	1907139162
		1907133249	1907139382
		1907133357	1907139687
		1907133521	1907139709
		1907133550	1907139855
		1907133565	1907140048
		1907133595	1907140063
		1907133621	1907140324
		1907133859	1907140472
		1907133982	1907140683
		1907133990	1907141254
		1907134134	1907141739
1907134286	1907142094		
1907134363	1907142238		
1907134376	1907142518		
1907134428			
1907134518			
1907134532			
1907134641			
1907134693			

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
07-09-2021	08-09-2021	1907143353	1907153090
		1907143886	1907153314
		1907144392	1907153539
		1907144532	1907153777
		1907145173	1907153853
		1907145312	1907154081
		1907145401	1907154084
		1907145408	1907154656
		1907145567	1907154859
		1907145776	1907155324
		1907145882	1907155814
		1907145934	1907155966
		1907146078	1907156735
		1907146380	1907156739
		1907147046	1907157284
		1907147173	1907157396
		1907147181	1907157496
		1907147375	1907157753
		1907147972	1907157767
		1907148251	1907158001
		1907148295	1907158113
		1907148335	1907158187
		1907148539	1907158470
		1907148680	1907158836
		1907149188	1907159327
		1907149664	1907160233
		1907149783	1907160246
		1907150541	1907160683
		1907150556	1907160779
		1907150939	1907160805
		1907151014	1907160885
		1907151439	1907161028
1907151497	1907161566		
1907151675	1907161620		
1907151926	1907161745		
1907151957			
1907152263			
1907152384			
1907152741			
1907152831			

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
13-09-2021	14-09-2021	1907161831	1907173900
		1907162718	1907174366
		1907162746	1907174449
		1907163080	1907174653
		1907163501	1907174661
		1907163734	1907174738
		1907164151	1907175087
		1907164737	1907175128
		1907165414	1907175327
		1907165939	1907175353
		1907166365	1907175397
		1907166560	1907175690
		1907166929	1907175785
		1907166973	1907175989
		1907167607	1907176422
		1907167773	1907176554
		1907167836	1907177379
		1907168493	1907177487
		1907168569	1907177534
		1907168742	1907177548
		1907168802	1907177833
		1907169025	1907177933
		1907169639	1907178131
		1907169712	1907178282
		1907169993	1907178333
		1907170429	1907178347
		1907170573	1907178354
		1907171026	1907178497
		1907171093	1907178521
		1907171209	1907178706
		1907171213	1907178913
		1907171674	1907179171
1907171785	1907179415		
1907171894	1907179463		
1907172065	1907179499		
1907172149			
1907172216			
1907172336			
1907172860			
1907173401			

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
14-09-2021	15-09-2021	1907180059	1907184980
		1907180167	1907185227
		1907180214	1907185251
		1907180466	1907185307
		1907180710	1907185455
		1907180742	1907185888
		1907180756	1907186046
		1907180809	1907186114
		1907180955	1907186140
		1907180976	1907186370
		1907181034	1907186389
		1907181052	1907186499
		1907181269	1907186525
		1907181301	1907186609
		1907181491	1907186643
		1907181657	1907186819
		1907181667	1907186872
		1907181763	1907186953
		1907182289	1907187346
		1907182377	1907187617
		1907182481	1907187754
		1907182744	1907187780
		1907182754	1907187883
		1907182949	1907187909
		1907182973	1907188003
		1907183351	1907188286
		1907183421	1907188683
		1907183426	1907188957
		1907183739	1907189076
		1907183978	1907189253
		1907184075	1907189337
		1907184191	1907189392
1907184294	1907189576		
1907184487	1907189686		
1907184489	1907189786		
1907184534			
1907184914			
1907184921			
1907184929			
1907184966			

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
15-09-2021	16-09-2021	1907189836	1907195447
		1907190002	1907195478
		1907190288	1907195480
		1907190303	1907195696
		1907190342	1907195726
		1907190349	1907195954
		1907190459	1907195979
		1907190535	1907196261
		1907190912	1907196305
		1907190987	1907196410
		1907191132	1907196449
		1907191135	1907196505
		1907191269	1907196521
		1907191299	1907196563
		1907191449	1907196576
		1907191463	1907196660
		1907191482	1907196729
		1907191576	1907197033
		1907191900	1907197160
		1907192251	1907197515
		1907192668	1907198299
		1907192848	1907198519
		1907192908	1907198523
		1907192961	1907198742
		1907193217	1907198768
		1907193524	1907198879
		1907193641	1907198910
		1907193730	1907199077
		1907194038	1907199521
		1907194201	1907199893
		1907194206	1907200061
		1907194262	1907200301
1907194269	1907200366		
1907194450	1907200517		
1907194470	1907200529		
1907194485			
1907194839			
1907194852			
1907195018			
1907195189			

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर


संशोधित साक्षात्कार समय-सारिणी

राज्य सेवा परीक्षा-2019

(छत्तीसगढ़ शासन के अधीनस्थ विभाग)

दस्तावेज सत्यापन तिथि	साक्षात्कार तिथि	प्रथम पाली (सुबह 09:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
16-09-2021	17-09-2021	1907200552	
		1907201076	
		1907201230	
		1907201690	
		1907202415	
		1907202470	
		1907202639	
		1907202798	
		1907203631	
		1907203849	
		1907204149	
		1907204229	
		1907204947	
		1907205437	
		1907205550	
		1907205681	
		1907205765	
		1907205823	
		1907205955	
		1907205963	
		1907206331	
		1907206672	
		1907207244	
		1907207248	
		1907207338	
		1907207522	
		1907207708	
		1907207905	
		1907207984	
		1907208143	
1907208333			
1907208428			
1907208451			
1907208765			
1907208809			
1907208852			
1907208866			
1907209001			
1907209036			
1907209062			
1907209286			
1907209296			

टीप :- आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।


 14.8.2021
 परीक्षा नियंत्रक
 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
 रायपुर